करना चाहता हूं कि अगर मंत्री के नाम से कोई गलत बात जाती है और वह भारत और अमेरिका के संबंध को कटु बनाती है, वह अनुचित बात है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रश्न को विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाना चाहिये। इसमें पी० टी० आई० और मंत्री दोनों आयें और सफाई के साथ बयान दें कि कहां सत्य है। इसलिये मैं आपको नोटिस देता हूं कि इस प्रश्न को विशेषाधिकार समिति के पास भेजा जाना चाहिये।

श्री उपसभापति : इसका कोई संबंध नहीं है।

PROCLAMATIONS UNDER ARTICLE 356 OF THE CONSTITUTIONS

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Now the next item—Proclamations under Article 356 of the Constitution. Mr. K. S. Ramaswamy.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND THE DEPARTMENT OF PERSONNEL IN THE CABINET SECRETARIAT (SHRI K. S. RAMASWAY): Sir, I lay on the Table a copy each of the following papers :—

(i) Proclamation (G. S. R. No. 1756) issued by the President on October, 1, 1970, under article 356 of the Constitution, in relation to the State of Utter Pradesh, under clause (3) of the said article (in English and Hindi).

(ii) Order dated October 1, 1970, made by the President under sub-clause. (i) of clause (c) of the Proclamation (in English and Hindi). [Placed in Library. *See.* No. LT-4157/70 for (i) and (ii)]

(iii) Report of the Governor of Uttar Pradesh dated September 29, 1970, to the President recommending the issue of the Proclamation. [Placed in Library. *See* No. LT-4176/70]

On behalf of Shri K. C. Pant I also lay on the Table, under clause (3) of article 356 of the Constitution, a copy (in English and Hindi) of the Proclamation (G.S.R. No. 1799) issued by the President on October 18, 1970, revoking the Proclamation issued by him on October 1, 1970 under the said article, in relation to the State of Uttar Predesh. [Placed in Library. *See* No. LT-4177/70]

SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI (Rajasthan) : On the first item I have point of order.

इसमें जो तीसरा आइटम है जिसमें उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का प्रतिवेदन सदन के पटल में रखने की बात कही गई है। इसमें स्पष्ट नहीं है कि वह प्रतिवेदन कौन सी भाषा में है। जब यह स्पष्ट नहीं होता, तो परिपाटी यह रही है कि वह केवल अंग्रेजी में होता है। 29 सितम्बर, 1970 का यह पत्र है, एक महीना और दस दिन इस बात को हो गए। मैं यह जानना चाहता हूं कि सदन के पटल पर इसके रखने की अनुमति देने के पूर्व क्या इस पत्र की भी हिन्दी प्रति इसके साथ रखना अनिवार्य था या नहीं था और अगर नहीं था, तो जो आपत्ति अभी तक इस सदन में मानी जाती रही हैं...

श्री उपसभापति : आपको इंगलिश और हिन्दी दोनों चाहिए ?

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : जी हां।

श्री उपसभापति : इंगलिश और हिन्दी दोनों रख दिया गया है।

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : मैंने तीसरे आइटम के बारे में उठाया है। मैं पहले दो कागजों के बारे में आपत्ति नहीं उठा रहा हूं, वहां स्पष्ट लिखा हुआ है अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में, लेकीन तीसरे आइटम में जिसमें उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का प्रतिवेदन है 29 सितम्बर 1970 का उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है। उसको एक महीना दस दिन हो गया। मैं यह जानाना चाहता हूं कि उसका हिन्दी अनुवाद उपलब्ध होगा या नहीं होगा। अगर उसका हिन्दी अनुवाद नहीं हुआ है तो क्या उसको भी आप सदन के पटल पर रखने की अनुमति दे देंगे ?

श्री उपसभापति : वह अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में होना चाहिए था ।

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : चेयरमैन साहब ने कई बार इस बात के लिए आदेश दिया है कि सदन के पटल पर रखे जाने वाले पत्र दोनों भाषाओं में होने चाहिए । इस क... ने मैं चाहूंगा कि विशेष रूप से इस बात का जवाब तलब किया जाए कि हिन्दी में क्यों नहीं है ? और अगर यह हिन्दी में उपलब्ध होने वाला है तो कब उपलब्ध होगा । इसके साथ ही इस पर, चूंकि यह उत्तर प्रदेश की राजनीति से सम्बन्धित है, पूरे समय के विवाद की अनुमति दी जाय ।

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Let the Minister say; what about the Hindi version?

SHRI K. S. RAMASWAMY : We will give the Hindi version later.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Mr. Bhandari has raised the question; when will you furnish the Hindi copy?

SHRI K. S. RAMASWAMY : We will do it very soon.

SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI : Then why don't we withhold this till then?

MR. DEPUTY CHAIRMAN . Why do you want to withhold this unnecessarily?

SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI : I hope un future such...

MR. DEPUTY CHAIRMAN : For the future, all documents should be placed both in English as well as in Hindi.(*Interruption by Shri Rajnarain*). Just a minute Mr. Rajnarain.

श्री राजनारायण (उत्तर प्रदेश) : मैं जब आपको एक मिनट भी समय देने के लिये तैयार नही हू । मैं ईस सदन का एक सदस्य हूं, मैं सदन का कायदे कानुन से अवगत हूं । अगर इस सदन मे हर रोज कानून को तोड़ा जायगा तो फिर में सरकार को आगे बड़ने देने के लिए तैयार नही हूं 1967 के जो भाषा संम्बन्धी नियम है, उनको मंगा कर पढ़े । आज भी हमको इसकी हिन्दी की कापी नहीं मिली । मैं यह कहना चाहता हूं कि 1967 का जो कानून बना हुआ है उसकी हिन्दी कापी मुझको आज भी नही मिली और आज मैंने मांगा कि हिन्दी की कापी आनी चाहिए, तो कहा गया कि हिन्दी की कापी अभी नहीं बनी है ।

श्री उपसभापति : कौन से कानून की ?

श्री राजनारायण : वह बता रहा हूं :

"The Official Languages (Amendment) Act, 1967........"

श्री उपसभापति : उसके बारे में बाद में देखेंगे ।

श्री राजनारायण : बाद में नहीं होगा, अभी होगा । उसमें यह दिया है :

> "For section 3 of the Official Languages Act, 1963, hereinafter referred to as the principal Act, the following section shall be substituted, namely:-"

श्री उपसभापति : यह सवाल नहीं है । अभी आप बैठिये ।

SHRI RAJNARAIN : सवाल यही है । It reads :—

> "......English language may, as from the appointed day........"

MR. DEPUTY CHAIRMAN : That question is not here on the agenda.

चेयरमैन साहब ने इसके बारे में आप को इजाजत नहीं दी है ।

श्री राजनारायण : मैं अपना कर्तव्य जानता हूं । मैं अभी वहां जा ही नहीं रहा हूं ।

श्री उपसभापति : आप बैठिये अभी ।

श्री राजनारायण : मैं इस पर बहस नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं अभी बैठने के लिये तैयार नहीं हूं । अगर आप कहें कि मैं कानून तोड़ कर चलूं, तो मैं उसके लिये तैयार नहीं हूं ।

श्री उपसभापति : जो आप के सामने बिजनेस है उसके मुताबिक चलना है ।

श्री राजनारायण : यह सवाल भंडारी जी ने उठाया . . .

श्री उपसभापति : भंडारी जी का सवाल खत्म हो गया है ।

श्री राजनारायण : आप एक मिनट सुन लीजिय ।

श्री उपसभापति : जो श्री राजनारायण बोल रहे हैं उसको न लिखा जाय ।

श्री राजनारायण (बोलते रहे ।)

श्री उपसभापति : ठीक है, आपने कह लिया, अब आप बैठिये ।

श्री राजनारायण : तो फिर आप कानून की अवहेलना न होने दें । एक बार नेगलीजेंस से ऐसा हो जाय, तो कोई बात नहीं है, लेकिन रोज ही ऐसा हो, तो उसको कैसे चलने दिया जायगा । कानून कहता है कि हिन्दी के साथ साथ अंग्रेजी भी रहेगी और रह सकती है । तो इस कानून की अवहेलना क्यों हो रही है ।

श्री उपसभापति : आपने कह दिया । अब आप बैठिये ।

श्री राजनारायण : आपने तो कह दिया है कि हम को लिखा न जाय । क्या हमने कोई बुरी बात कह दी है ।

श्री उपसभापति : यह सवाल खत्म हो गया है ।

(Interruptions)

श्री राजनारायण : जो इस सदन के द्वारा बनाया हुआ भाषा कानून है, उसकी यह सरकार अवहेलना कर रही है ।

श्री उपसभापति : अब आप बैठ जाइये ।

श्री राजनारायण : इस सदन के बनाये हुये कानून की अवहेलना हो रही है, हमारे राष्ट्र का अपमान हो रहा है और उस पर भी आप कह रहे हैं कि बैठ जाओ, बैठ जाओ ।

श्री उपसभापति : मैंने इसके लिये सरकार से कहा और उन्होंने कहा कि हिन्दी में मिलेगा जायगा ।

श्री राजनारायण : हमारा प्वाइंट यह है कि हिन्दी में यह क्यों नहीं आया । कानून कहता है कि हिन्दी के साथ साथ अंग्रेजी रहेगा लेकिन . . .

श्री उपसभापति : ठीक है, अब आप बैठिये ।

डा० भाई महावीर (दिल्ली) : अब तक, हिन्दी की प्रति नहीं आती तब तक आप अंग्रेजी की प्रति को सभा पटल पर रखे जाने की अनुमति न दें क्योंकि तीन दिन बाद हो सकता है कि हमारा निवेदन यह हो कि कानून के अनुसार चलने के लिये जिस की हिन्दी प्रति तैयार न हो उस को अंग्रेजी प्रति भी यहां रखने की इजाजत न दी जाय ।

श्री उपसभापति : कई बार ऐसा हुआ है कि अंग्रेजी की कापी रखी गयी है और हिन्दी की कापी बाद में रखी गयी है ।

श्री राजनारायण : अगर हुआ है तो अब नहीं होगा । इसी उदासीनता के कारण अंग्रेजी हमारे गरीबों की छाती पर चढ़ी चली जा रही है वे खानदानी गुलाम जिन के मां बाप की मम्मी और डेडी कहा जाता है वे आज हमारी छाती पर चढ़े हुए हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि आप किस नियम के तहत इस कानून की अवहेलना कर रहे हैं ।

श्री उपसभापति : जो प्रोसिजर है मैं उस के अनुसार चल रहा हूं ।

श्री राजनारायण : यह कोई प्रोसिजर नहीं है । यहां अंग्रेजी के साथ हिन्दी नहीं है, हिन्दी के साथ अंग्रेजी है और यही कानून है । आप क्या चाहते हैं ?

श्री उपसभापति : आप बैठिये ।

श्री राजनारायण : यह भाषा का सवाल है। यह हमारे जीवन का सवाल है, यह हमारे पेट का सवाल है। आप कहते हैं कि हम धीमे धीमे चलें। हम हैरत में पड़े हुए हैं और सदन के सम्मानित सदस्य यहां बैठे हुए हैं, वे जरा ध्यान दे जो बात उठायी जा रही है उस की तरफ और इस बारे में कोई न्यायसंगत निर्णय होना चाहिये कि हिन्दी के साथ अंग्रेजी रहेगी या अंग्रेजी के साथ हिन्दी रहेगी

श्री उपसभापति : राजनारायण जी, आप का सवाल ठीक है, आप बैठिये।

श्री राजनारायण : अगर मेरा सवाल ठीक है तो आप मेरी बात मान कर उस के अनुसार आज्ञा दें। आप अध्यक्ष हैं।

श्री गोडे मुराहरि (उत्तर प्रदेश) : तीसरी प्रति आप सभा पटल पर मत रखने दीजिए।

श्री मानसिंह वर्मा (उत्तर प्रदेश) : राजनारायण जी का कहना बिलकुल सही है। भविष्य में इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए।

श्री उपसभापति : यह तो मैंने कह दिया। आगे से दोनों साथ साथ रखी जायेंगी। आप की बात मैं ने सुन ली और मैं ने कहा है कि आगे से अंग्रेजी और हिन्दी दोनों प्रतियां साथ में आनी चाहिए।

श्री राजनारायण : अब मेरी दूसरी बात सुनिये। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस पार बहस कब होगी। राज्यपाल ने जो रिपोर्ट की वह तमाम बेहूदी और असभ्य बातों से भरी हुई है। राष्ट्रपति जी ने जो घोषणा की उस में सभी जनतंत्रीय परंपराओं को ठुकरा दिया गया है। इस लिए मैं आप से कहना चाहता हूं कि इस पर फौरन फौरन विवाद हो कि इतने दिनों तक उत्तर प्रदेश शासन में राष्ट्रपति शासन क्यों रहा।

विपक्ष के नेता (श्री श्यामानन्दन मिश्र) : यह एक बडा अहम सवाल है।

श्री उपसभापति : मिश्र जी, मैं आप से कहूंगा कि आप इस बात के बारे में कल चेयरमैन साहब से बात कर लें।

श्री राजनारायण : सेक्रेटरी साहब इन्फार्मेशन दे रहे हैं कि चूंकि यह रिबोक हो गया इसलिए इस पर बहस नहीं होगी। मैं कहना चाहता हूं कि इस पर बहस होगी कि भले ही दस दिन पंद्रह दिन या 18 दिन, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन क्यों रहा है।

श्री उपसभापति : कल इस बारे में चेअरमन साहब से मिल कर बातचीत कर लीजिए।

श्री राजनारायण : आप तो सभी अधिकार रखते हैं।

श्री उपसभापति : ठीक है, आप बैठिये।

श्री राजनारायण : आप कहते हैं कि चेयरमैन साहब से बात कर लो और चेयरमैन साहब ने हम को इजाजत नहीं दी. . .

श्री उपसभापति : अभी आप बैठिये।

SHRI S. N. MISHRA : This is a matter of some importance so far as the procedure of the House is concerned. Whenever there is even a temporary suspension of the Constitution in a State the Government should come forward on its own with a motion for the consideration and approval of that Presidential Proclamation. The suspension of the Constitution. . .

MR. DEPUTY CHAIRMAN : I have said that you can discuss the question tomorrow.

SHRI S. N. MISHRA : The imposition of President's rule is of grave import, and should it not be an obligation cast upon the Government to come on its own with a motion for consideration and approval of the Proclamation? That is a thing which must be firmly laid down by Parliament. That is what I am submitting. You might take time for consideration.

श्री राजनारायण : मैं यह देख रहा हूं कि राष्ट्रपति की घोषणा को ले कर राष्ट्रपति पर जो अभियोग लगाने की बात चली थी वह अभी हटी नहीं है। अगर आप लोग ऐसा करेंगे, तो राष्ट्रपति के इंपीचमेंट का प्रस्ताव हम फिर लायेंगे। देखिये हल्ला मत करिये।

2 P. M.

श्री शीलभद्र याजी (बिहार) : बदतमीजी के साथ आप हल्ला कर रहे हैं, मैं नहीं करूंगा ?

श्री राजनारायण : मैं उनसे नहीं कहना चाहता हूं। मैं आपसे, श्रीमन् यह कह रहा हूं कि राष्ट्रपति महोदय विदेश में हजारों मील दूर रहते हुये बिना उत्तर प्रदेश की समस्या को समझ हुये. . .

श्री उपसभापति : राजनारायण जी, कल चेयरमैन के साथ में इसकी चर्चा कर लीजिये।

श्री राजनारायण : यह फिर सदन में आज रखा क्यों।

श्री उपसभापति : वह तो पटल पर रखना चाहते हैं।

श्री राजनारायण : क्यों रखना चाहते हैं जब यहां आयेगा, तो रखा जायेगा तो बहस करियेगा। हम एक मिनट के लिये क्यों बर्दाश्त करें कि प्रेसिडेंट का आर्डर रखा गया और हमने विरोध नहीं किया, हमने बहस नहीं की।

श्री उपसभापति : आपने तो कह दिया जो कुछ कहना था।

श्री राजनारायण : इतना ही कहना नहीं था। अगर कोई हमारा दिल चीर कर देखेगा और अगर हम जिन्दा रहे, तो देखेगा कि हमारे दिल में क्या है।

श्री शीलभद्र याजी : तुम जबरदस्ती करते हो और इस तरह की बात करते हो। क्या बात करते हो ?

श्री राजनारायण : उनको बोलने दो, हम उनकी बात का जवाब नहीं देंगे। हमसे भी ज्यादा कोई विधि का ज्ञान रखता है क्या ? आप तो हमसे ज्यादा. . .

श्री उपसभापति : ठीक है, आप बैठिये तो कम से कम।

STATEMENT OF BILLS ASSENTED TO BY THE PRESIDENT

SECRETARY : Sir, I beg to lay on the Table a statement showing the Bills which were passed by Parliament during the Seventy-third Session of the Rajya Sabha and assented to by the President.

STATEMENT

1. The Supreme Court (Enlargement of Criminal Appellate Jurisdiction) Bill, 1970.
2. The Special Marriage (Amendment) Bill, 1970.
3. The Army Air Force and Naval Law (Amendment) Bill, 1970.
4. The Cock Workers (Regulation of Employment) Amendment Bill, 1970.
5. The West Bengal Appropriation (No. 2) Bill, 1970.
6. The Delhi Shops and Establishment (Amendment) Bill, 1970.
7. The Indian Post Office (Amendment) Bill, 1970.
8. The Delhi University (Amendment) Bill, 1970.
9. The Appropriation (No. 3) Bill, 1970.
10. The Contract Labour (Regulation and Abolition) Bill, 1970.
11. The Appropriation (Railways) No. 3 Bill, 1970.
12. The Patents Bill, 1970.